फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

जसोदा वगैरा बनाम देलीदेवी वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 120/2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री ज्येष्ठ कुमार यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/06/2024 को पेश हो ।	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है, लिहाजा इन्तजार होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18/06/24 को पेश होवे	
18/06/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। विप्रार्थीगण के सम्मन Registered deleivery Report सहित तामील प्राप्त हुए। सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया	

जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
करने योग्य है। अत: नेरवमवंदी निर्णय अलग से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 120/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जसोदा वगैरा बनाम ढेलीदेवी वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री ज्येष्ठ कुमार

निर्णय दिनांक – 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 346/47 रकबा 8.0937 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 346/47 रकबा 8.0937 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/2024 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

18/6/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा